न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 022/2022

1. वंशिका चौधरी उम्र 3 वर्ष पुत्री बलराम नाबालिग जरिये कुदरति वली माता दुर्गा देवी पत्नी बलराम जाति जाट साकिन पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।
2. दुर्गा देवी पत्नी बलराम जाति जाट साकिन पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।

—— प्रार्थीगण

–:बनाम:–

1. रामचन्द्र पुत्र हजारीराम जाति जाट साकिन पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. सुरजभान पुत्र रामचन्द्र जाति जाट साकिन पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. चन्द्रकैलाश पत्नी रामचन्द्र जाति जाट साकिन पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा।

—— अप्रार्थीगण

–:: प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ::–

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री जगजीत सिंह रमाणा	—— प्रार्थीगण
2. श्री मदन लाल पारीक	—— अप्रार्थी सं. 1 ता 3
3. राजपैरोकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा।	—— अप्रार्थी सं. 7

–:: निर्णय :–

दिनांक:– 21/10/24

प्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए के तहत अधिवक्ता श्री जगजीत सिंह रमाणा की ओर से प्रस्तुत किया गया है प्रार्थना पत्र में वर्णित संक्षिप्त इस प्रकार है कि उक्त अनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत हो चुका है जिसमें प्रार्थीगण को कामयाबी की पूर्ण सम्भावना है।

प्रार्थीया सं.1 नाबालिग है जिसके पिता बलराम की मृत्यु हो चुकी है। प्रार्थना पत्र जरिये कुदरति वली वाद मित्र माता की और प्रार्थीया सं. 1 के हितो की रक्षा के लिये पेश किया जा रहा है व प्राथया सं.2 स्वंय प्रस्तुत होकर अपने हितो की रक्षा के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तत कर रही है।

प्रार्थीया सं.1 के पिता व प्रार्थीया सं. के पति बलराम का स्वर्गवास दिनांक 21.11.2019 को हो चुका है। प्रार्थीया सं.1 के दादा व प्रार्थीया सं. 2 के ससुर अप्रार्थी सं. 1 है व अप्रार्थी सं.2 प्रार्थीया स.1 के चाचा व प्रार्थीया सं.2 का देवर है व अप्रार्थी सं3 प्रार्थीया सं.1 की दादी व प्रार्थीया सं.2 की सास है। प्रार्थया सं.1 के पड़दादा हजारीराम थे जिनकी मृत्यु दिनांक 15.11. 2018 को हो चुकी है। प्रार्थीगण व [illegible] परिवार के सदस्य है जो हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के मिताक्षरा स्कुल [illegible] शास्ति होते है जो परस्पर सहदायिकी व सहअशंदायी है।

प्रार्थीया सं.1 के पड़दादा व [illegible] ससुर हजारीराम के [illegible] भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 5 एनएसडब्लयू में कृषि [illegible] दर्ज रिकार्ड थी जो उ[illegible] के पश्चात अप्रार्थी सं.1 रामचन्द्र जो प्रार्थीया सं. 1 का दादा व प्रार्थीया सं. 2 का ससुर है के नाम दर्ज रिकार्ड हुई। इसी प्रकार चक 2 एनआर की कृषि भूमि इसी अनुसार दर्ज रिकार्ड

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.10.28 10:44:42 IST
Reason: SelfAttested

रही। अप्रार्थी सं. 3 जो कि प्रार्थीया सं.1 की दादी व प्रार्थीया सं. 2 की सास है के नाम उक्त कृषि भूमि जो हजारीराम के नाम से चली आ रही है की आय से चक 7 एनएसडब्ल्यू में कृषि भूमि क्रय की जो अप्रार्थी सं. 3 के नाम दर्ज रिकार्ड पारिवारीक पैतृक कृषि भूमि खरीद कर दर्ज करवाई गई है जो पैतृक कृषि भूमि की श्रेणी में आती है। चक 5 एनएसडब्ल्यू की पर्ची खतौनी सलग्न प्रार्थना पत्र है। हजारीराम की मृत्यु के पश्चात वर्तमान राजस्व रिकार्ड में कृषि भूमि निम्न प्रकार से दर्ज है

चक 5 एनएसडब्ल्यू के खाता सं. 25/58 के प.नं. 39/338 (22) किला नं. 2, 3, 4, 5/1/.228, 5/2/.025, 6/1/.228, 6/2/.025, 7 ता 9, 12 ता 14, 15/1/.228, 15/2/.025, 16/1/.228, 16/2/025, 17 ता 19, 24/21.127 कुल 4.175 हैक्ट. कमांड मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी में अप्रार्थी सं.1 रामचन्द्र का 949/4175 हिस्सा व अप्रार्थी सं.2 का 1138/4175 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

चक्र 5 एनएसडब्ल्यू के खाता सं. 24/24 के प.नं. 39/338 (22) किला नं. 1, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24/1/.126, 25/1/.228, 25/2/025 की 2.150 हैक्ट. कमांड मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी में अप्रार्थी सं.2 का 1/4 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड बाके है।

चक 7 एनएसडब्ल्यू के खाता सं. 6/13 के प.नं. 38/340 (11) किला नं. 1/2/.025, 1/3/203, 2/1/.228, 2/2/.025, 3/1/.228, 3/2/.025, 4/1/.228, 4/2/.025, 5/1/. 228, 5/2/.025, 69, 10/1/.228, 11/1/.228, 12 ता 19, 20/1/.228. 21/2/ 203, 22/21,228, 23/11.227, 24/21.227, 25/1/227, प.नं. 38/341 (13) किला नं. 1 ता 15 कुल 9.867 हैक्ट. अनकमांड मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी में अप्रार्थी सं. 3 का 1/13 हिस्सा दर्ज रिकार्ड वाके है।

चक 2 एनआर के खाता सं. 26/10 के प.नं. 39/326 (4) किला नं. 12, 19, 22/2/. 090 की 0.596 हैक्ट. कमांड खातेदारी में अप्रार्थी सं.1 का 1/2 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड वाके है।

प्रार्थना पत्र की दफा 4 में वर्णित कृषि भूमि हजारीराम से प्राप्त होने के कारण पैतृक कृषि भूमि है। प्रार्थीया सं.1 के पिता प्रार्थीया सं.2 के पति बलराम जिनकी मृत्यु हो चुकी है का इस कृषि भूमि में अपने पिता अप्रार्थी सं.1 व अप्रार्थी सं. 2 के साथ ब.हि.ब. हक निहित रहा है। बलराम की मृत्यु हो जाने के पश्चात उसका हक व हिस्सा विरास्तन प्रार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रार्थना पत्र की दफा 4 में वर्णित कृषि भूमि जो पैतृक कृषि भूमि है में प्रार्थीया सं.1 के पिता व प्रार्थीया सं. 2 के पति बलराम का 1/3 हिस्सा का हक निहित था । बलराम की मृत्यु के पश्चात अप्रार्थी सं. 1 ता 3 मन में बदनियती पैदा हो गई है वे बलराम के हिस्से में से प्रार्थीगण को महरूम व वंचित रखना चाहते है। इसी उद्देश्य से अप्रार्थी सं.1 ने प्रार्थीगण का हक हिस्सा मारने के लिये दिनांक 28.12.2021 को कथित रूप से एक दान पत्र अप्रार्थी सं. 2 के हक में तहरीर व पंजीकृत करवाया जि चक 5 एनएसडब्ल्यू के खाता सं. 24 के प.नं. 39/338 की 2.150 हैक्ट. कमांड म गैर मुमकिन खाला में से अपने 1/4 हिस्सा यानी 0.5375 हैक्ट. समस्त हिस्सा व इसी चक के खाता सं. 25 के प.नं. 39/338 कुल 4.175 हैक्ट. कमांड मय गैर मुमकिन खातेदारी में 2087/4175 हिस्सा में से 1.138 हैक्ट. दोनो खातो में 1.6755 हैक्ट. कमांड मय गैर मुमकिन खातेदारी का [illegible] रूप से दान पत्र करवा दिया जबकि पैतृक कृषि भूमि जो अप्रार्थी सं. [illegible] के नाम दर्ज [illegible] को अकेले अप्रार्थी सं.1 प्राप्त करने का अधिकारी नही है व न ही इस पैतृक कृषि भूमि [illegible] पत्र द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के हक में दर्ज करवाने का अधिकारी है। ऐसा दान पत्र जो पैतृक कृषि भूमि से है व प्रार्थीया सं.1 जो नाबालिग है व प्रार्थीया सं. 2 जो कि विध[illegible] औरत है के हको से महरूम नही किया जा सकता। ऐसा कथित दान पत्र प्रार्थीगण के हितो पर निष्प्रभावी है व शुन्य दस्तावेज है। इस कारण प्रार्थीगण अप्रार्थी सं.1 के नाम से जो कथित दान पत्र द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.10.28 10:44:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

नाम कृषि भूमि प्राप्त हुई व अप्रार्थी सं.1 के नाम चक 2 एनआर में दर्ज कृषि भूमि के 1/2 हिस्सा में व अप्रार्थी सं. 3 के नाम पैतृक आय से खरीदशुदा कृषि भूमि में अपना 1/3 हिस्सा प्रत्येक कृषि भूमि जो अप्रार्थी सं.1 ता 3 के नाम है में से प्राप्त करने व खातेदारी घोषणा प्राप्त करने की अधिकारी है व वाद पत्र की दफा 4 में अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि चक 5 एनएसडब्लयू के खाता सं. 25/58 की 4.175 हैक्ट. में अप्रार्थी सं.1 के नाम 949/4175 हिस्सा व अप्रार्थी सं.2 के नाम 138/4175 हिस्सा में से प्रार्थीगण 1/3 हिस्सा व चक 5 एनएसडब्ल्यू के खाता सं. 24/24 की 2.150 हैक्ट. में से अप्रार्थी सं 2 के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा में से प्रार्थीगण 1/3 हिस्सा व चक 7 एनएसडब्लयू के खाता सं. 6/13 की 9.867 हैक्ट. में अप्रार्थी सं.3 के नाम दर्ज 1/13 हिस्सा में से प्रार्थीगण 1/3 हिस्सा व चक 2 एनआर के खाता सं. 26/10 के प.नं. 39/326 की 0.596 हैक्ट. में अप्रार्थी सं.1 के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा में से प्रार्थीगण 1/3 हिस्सा की खातेदारी घोषणा प्राप्त करने के हकदार है। प्रार्थीगण को प्राप्त हिस्सा मे से अप्रार्थी सं. 1 ता 3 का नाम व हिस्सा कल्मजन करवाने के अधिकारी है शेष सयुक्त खातेदारान का हिस्सा यथावत रहेगा।

अप्रार्थी सं. 1 ता 3 आपस में मिले हुए है व एकराय होकर प्रार्थीगण का हक व हिस्सा मारने पर उतारू है। अप्रार्थी सं.1 ने प्रार्थीगण का हक व हिस्सा खत्म करने के लिये अप्रार्थी सं.2 के हक में कथित दान पत्र करवा दिया है व कथित दान पत्र की कृषि भूमि को आगे अजनबी व्यक्तियों को बेचने पर उतारू है। इसी प्रकार अप्रार्थी सं. 1 ता 3 अपने नाम दर्ज कृ षि भूमि को किन्ही अजनबी व्यक्ति को बेचने पर आमाद है। यदि अप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय व अपरिमेय क्षति होगी जिसकी भरपाई करना मुशकिल हो जायेगा। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थीगण के पास इस कृषि भूमि के अलावा आय का अन्य कोई साधन नही है। प्रार्थीगण बलराम के वारीस है जिनकी मृत्यु हो चुकी है। इस कारण बिना कृषि भूमि की आय से जीवन जीना मुश्किल हो जायेगा। प्रार्थीया सं. 2 को प्रार्थीया सं.1 जो कि नाबालिग है की परवरिश करनी है व उसकी पढ़ाई का भी खर्चा रहन सहन का खर्चा भी इसी कृषि भूमि की आय से प्राप्त होगा। प्रार्थीगण के लिये विकट परिस्थितियां पैदा हो गई है। पालन पोषण करना दुर्भर हो गया है। इन अत्यावश्यक व तात्कालिक परिस्थिति के दृष्टिगत प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है कि अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की दफा 4 में वर्णित भूमि में अपने हक व हिस्सा को रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद विरूद्ध अप्रार्थीगण इस अमर की जारी की जावे कि अप्रार्थीगण चक 5 एनएसडब्ल्यू के खाता सं. 25/58 के प.नं. 39/338 (22) किला नं. 2, 3, 4, 5/1/.228, 5/2/.025, 6/1/.228, 6/2/.025, 7 ता 9, 12 14, 15/1/. 228, 15/2/.025, 16/1/.228, 16/2/.025, 17 ता 19, 24/2/.127 कुल 4.175 हैक्ट. कमांड मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी में अप्रार्थी सं.1 रामचन्द्र का 949/4175 हिस्सा व अप्रार्थी सं.2 का 1138/4175 हिस्सा, चक 5 एनएसडब्ल्यू के खाता सं. 24/24 के प.नं. 39/338 (22) किला नं. 1, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24/1/.126, 25/1/– 228, [illegible] की 2.150 हैक्ट. कमांड मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी में अप्रार्थी सं.2 का 1/[illegible] हिस्सा [illegible] चक 7 एनएसडब्ल्यू के खाता सं. 6/13 के प.नं. 38/340 (11) किला नं. [illegible] 2/1/.228, 2/2/.025, 3/1/.228, 3/2/.025, 4/1/. 228, 4/2/.025, 5/1/.228, 5/2/.025, 6 ता 9, 10/1/.228, 11/1/.228, 12 ता 19, 20/1/[illegible], 21/2/.203, 22/2/.228, 23/1/.227, 24/2/.227, 25/1/.227, प. नं. 38/341 (13) किला नं. 1 ता 15 कुल 9.867 हैक्ट. अनकमांड मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी में अप्रार्थी सं. 3 का 1/13 हिस्सा व

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.10.28 10:44:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

चक 2 एनआर के खाता सं. 26/10 के प.नं. 39/326 (4) किला नं. 12, 19, 22/21.090 की 0.596 हैक्ट. कमांड खातेदारी में अप्रार्थी सं. 1 का 1/2 हिस्सा को रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सरिस्ता रिपोर्ट बाद दर्ज रजिस्टर किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी की एक पक्षिय बहस सुनी गई बहस पर मनन व प्रस्तुत शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए एवं रिकार्ड का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में बनने पर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंन्धित किया गया कि तहसील पीलीबंगा के चक 5 एनएसडब्ल्यू के खाता सं. 25/58 के प.नं. 39/338 (22) किला नं. 2, 3, 4, 5/1/.228, 5/2/.025, 6/1/.228, 6/2/.025, 7 ता 9, 12 14, 15/1/. 228, 15/2/.025, 16/1/.228, 16/2/.025, 17 ता 19, 24/2/.127 कुल 4. 175 हैक्ट. कमांड मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी में अप्रार्थी सं.1 रामचन्द्र का 949/4175 हिस्सा व अप्रार्थी सं.2 का 1138/4175 हिस्सा, चक 5 एनएसडब्ल्यू के खाता सं. 24/24 के प.नं. 39/338 (22) किला नं. 1, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24/1/.126, 25/1/– 228, 25/21.025 की 2.150 हैक्ट. कमांड मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी में अप्रार्थी सं.2 का 1/4 हिस्सा व चक 7 एनएसडब्ल्यू के खाता सं. 6/13 के प.नं. 38/340 (11) किला न. 1/2/.025, 1/3/.203, 2/1/.228, 2/2/.025, 3/1/.228, 3/2/.025, 4/1/. 228, 4/2/.025, 5/1/.228, 5/2/.025, 6 ता 9, 10/1/.228, 11/1/.228, 12 ता 19, 20/1/.228, 21/2/.203, 22/2/.228, 23/1/.227, 24/2/.227, 25/1/.227, प. नं. 38/341 (13) किला नं. 1 ता 15 कुल 9.867 हैक्ट. अनकमांड मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी में अप्रार्थी सं.3 का 1/13 हिस्सा व चक 2 एनआर के खाता सं. 26/10 के प.नं. 39/326 (4) किला नं. 12, 19, 22/21.090 की 0.596 हैक्ट. कमांड खातेदारी में अप्रार्थी सं.1 का 1/2 हिस्सा को रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गए। अधिवक्ता श्री मदन लाला पारीक द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की ओर से वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके तथ्य निम्न प्रकार से है कि–यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 में दर्ज यह तथ्य कि उक्त अनवान का वाद पेश हो चुका है स्वीकार है परंतु उस वाद पत्र में प्रार्थीगण को कामयाब होने की कतई सम्भावना नहीं है शेष तथ्य को साबित करने का भार प्रार्थीगण पर है। प्रार्थीगण काफी समय से गांव रतनपुरा तहसील संगरिया में रहते हैं।

प्रार्थना पत्र की दफा 2 जिस तरह से दर्ज की गई है स्वीकार नहीं है। प्रार्थीया सं. 2 अपने पति की मृत्यु के बाद बिना किसी कारण के पीलीबंगा गांव से अपने पीहर चली गई व वंशिका को भी अपने साथ ले गई है। जहां लालन–पालन सही नहीं हो रहा है। प्रार्थीया सं. 1 का हित प्रार्थीया सं. 2 में सुरक्षित नहीं है। इसके नाबालिग होने का नाजायज फायदा उठाते हुए हम अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।

प्रार्थना पत्र की दफा 3 में मृत्यु से संबंधित व रिश्ते संबंधित तथ्य स्वीकार नहीं है। शेष तथ्य कतई गलत व अस्वीकार है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. [illegible] का संयुक्त हिन्दू परिवार नहीं है। बलराम व प्रार्थीया सं. 2 की शादी होने के [illegible] बाद से ही प्रार्थीया दुर्गा देवी का व्यवहार व आचरण हम अप्रार्थीगण [illegible] अप्रार्थी सं. 1 रामचन्द्र ने अपने पुत्र बलराम को मण्डी पीलीबंगा में [illegible] की दुकान करवाकर उसे मण्डी पीलीबंगा में 1 प्लाट व रावतसर में 2 प्लाट दिलवाकर [illegible] कर दिया था। बलराम काफी बीमार रहा तो उसके ईलाज का खर्चा व अन्य सभी खर्च अप्रार्थी रामचन्द्र ने वहन किये थे । प्रार्थीगण इस परिवार के सहदायिकी नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.10.28 10:44:42 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र की दफा 4 कतई गलत व मिथ्यारचित है व स्वीकार नहीं है। उप दफा क में वर्णित भूमि श्री हजारीराम को चक 5 एनएसडब्ल्यु के प.नं. 39/338 के किला नं. 2 ता 9, 12 ता 19, 24/1 की 4.175 हैक्ट. भूमि स्व अर्जित आवंटित खातेदारी भूमि है। उपदफा ख में वर्णित प.नं. 39/338 के किला नं. 1–10–11, 20 ता 25/2 की 2.150 हैक्ट. आराजी राज भूमि थी जो अप्रार्थी सं. 1 रामचन्द्र, भाई पृथ्वीराज व बहन चावली–परमेश्वरी को आवंटित भूमि है। उप दफा घ में वर्णित चक 2 एनआर के प.नं. 39/326 के किला नं. 12, 19, 22/2 की 0.596 हैक्ट. भूमि अप्रार्थी रामचन्द्र व भाई पृथ्वीराज की खरीदशुदा भूमि है। उप दफा ग में वर्णित चक 7 एनएसडब्ल्यु की 9.867 हैक्ट. भूमि में अप्रार्थीया सं. 3 चन्द्रकैलाश के नाम दर्ज 3 बीघा भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 23.12.2015 को खरीदशुदा है।

उप दफा क में वर्णित श्री हजारीराम को आवंटित चक 5 एनएसडब्ल्यु के प.नं. 39/338 की 4.175 हैक्ट. भूमि की उन्होने अपने जीवनकाल में ही एक वसीयत दिनांक 14.03.2016 को निष्पादित करवा कर श्रीमान उपपंजीयक पीलीबंगा से पंजीकृत करवा दी थी। हजारीराम की मृत्यु दिनांक 15.11.2018 के बाद यह भूमि मुताबिक वसीयत अप्रार्थी सं. 1 रामचन्द्र को 2.087 हैक्ट., पृथ्वीराज पुत्र हजारीराम को 0.949 हैक्ट. व कपिल पुत्र पृथ्वीराज को 1.139 हैक्ट. भूमि प्राप्त हुई और इसी प्रकार राजस्व अभिलेख में दर्ज हुई। इसलिए यह भूमि पैतृक सम्पति नहीं है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र की दफा 4 में वर्णित अप्रार्थी सं. 1 रामचन्द्र व अप्रार्थी सं. 3 चन्द्रकैलाश के नाम दर्ज समस्त भूमि पैतृक सम्पति नहीं है। इनके जीवनकाल में इनके अलावा अन्य किसी का हक हिस्सा नहीं है। प्रश्नगत भूमि प्रार्थीगण का कोई भी हक–हिस्सा नहीं है। यह भूमि पैतृक सम्पति की श्रेणी में नहीं आती है।

प्रार्थना पत्र की दफा 5 कतई मिथ्यारचित एवं विधि–विरूद्ध है, स्वीकार नहीं है। प्रार्थनापत्र की दफा 4 में वर्णित समस्त भूमि पैतृक सम्पति नहीं है। अप्रार्थी सं. 1 व 3 के जीवनकाल में इस भूमि में बलराम का व उसकी मृत्यु के बाद प्रार्थीगण का कोई हक–हिस्सा नहीं है। इस भूमि पर कभी भी न तो बलराम का कब्जा काश्त था और न ही प्रार्थीगण का कब्जा काश्त रहा है। प्रार्थीया सं. 2 का बलराम के जीवनकाल में भी अप्रार्थीगण के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं रहा है। बलराम की मृत्यु के बाद बिना किसी कारण प्रार्थीया दुर्गा देवी अपनी पुत्री वंशिका चौधरी को लेकर अपने पीहर चली गई और वहां पर ही रह रही है। अपने पीहरवालों के बहकावे एवं नाजायज दबाव के कारण हम अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने की नीयत से झूठे मुकदमें कर रही है। अप्रार्थी सं. 1 रामचन्द्र ने बलराम को मण्डी पीलीबंगा में पेस्ट्रीसाईड की दुकान करवा कर दी थी। यहां मण्डी में एक प्लाट तथा रावतसर में दो प्लाट खरीदकर दिये थे। बलराम की मृत्यु के बाद मण्डी पीलीबंगा वाला प्लाट प्रार्थीया दुर्गादेवी ने बेच दिया है।

अप्रार्थी सं. 1 ने अपनी स्व अर्जित हक–हिस्सा की भूमि में से अपने पुत्र अप्रार्थी सं. 2 सुरजभान के पक्ष में करवाये गये दानपत्र के आधार पर यह भूमि अप्रार्थी सं. 2 के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज हो चुकी है और सुरजभान के कब्जा काश्त में है। यह दानपत्र एक विधि सम्मत दस्तावेज है जो सक्षम अधिकारी उप पंजीयक पीलीबंगा द्वारा पंजीकृत दस्तावेज है। यह दस्तावेज शुन्यकरणीय दस्तावेज हैं इस दान पत्र के विरूद्ध प्रार्थीगण कोई अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्रार्थीगण का प्रश्नगत भूमि के किसी अंश पर कब्जा काश्त नहीं हैं इसलिए कब्जे के अभाव में धारा 212 रा.का.अधि. का प्रार्थना पत्र नाकाबिल चलने के है।

प्रार्थना पत्र की दफा 6 कतई मनगढत एवं गलत दर्ज है जो स्वीकार नहीं है प्रार्थीगण ने समस्त तथ्य प्रार्थना पत्र को रंगत देने की नीयत से गलत दर्ज किये हैं। दानपत्र सही एवं विधि सम्मत दस्तावेज है प्रार्थीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 के नाम दर्ज भूमि बाबत प्रार्थीगण कोई अनुतोष व अस्थायी व्यादेश प्राप्त करने के हकदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.10.28 10:44:42 IST
Reason: SelfAttested

नहीं है। प्रश्नगत भूमि अप्रार्थीगण को पंजीकृत दस्तावेज वसीयत, बैयनामा, दानपत्र व आवंटन आदेश से प्राप्त भूमि है। दफा 4 में वर्णित भूमि में प्रार्थीगण का कोई हक–हिस्सा नहीं है। प्रश्नगत भूमि के प्रार्थीगण अभिलिखित खातेदार नहीं है इसलिए धारा 212 रा.का.अधि. का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के है। हम अप्रार्थीगण अपने हक–हिस्सा की भूमि पर बतौर अभिलिखित खातेदार काबिज काश्त हैं। प्रार्थीगण को किसी प्रकार की अपूर्णीय क्षति नहीं हो रही है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन हम अप्रार्थीगण के पक्ष में है। अप्रार्थी सं. 3 के पक्ष में हुए दान पत्र के आधार पर नामांतरण तस्दीक के विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय ए.डी.एम. हनुमानगढ़ के यहां अपील पेश की हुई है जो लम्बित है। दानपत्र को निरस्त करवाने हेतु प्रार्थीगण द्वारा सिविल न्यायालय पीलीबंगा में वादपत्र पेश किया हुआ है जो विचाराधीन है। जिसमें स्थगन आदेश जारी है। प्रश्नगत भूमि पैतृक सम्पति नहीं है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र को सुनने का अधिकार श्रीमान न्यायालय को नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थायी व्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के **जवाब उल जवाब प्रार्थना पत्र** प्रस्तुत किया गया है जो निम्न प्रकार से है:–

जवाब प्रार्थना पत्र की दफा 2 मे वर्णित तथ्य की प्रार्थीया सं. 2 बिना किसी कारण के पीलीबंगा गावं से अपने पीहर चली गई हो व प्रार्थीया सं. 2 के हाथो प्रार्थीया सं. 1 का हित सुरक्षित नहीं हो व अप्रार्थीगण को तंग व परेशान किया जा रहा है कतई असत्य व मनगढ होने से अस्वीकार है। प्रार्थीया सं. 2 को अप्रार्थीगण बलराम की मृत्यु के पश्चात लडाई झगडा करते रहते थे व प्रार्थीगण को तंग व परेशान करते थे प्रार्थीगण गावं पीलीबंगा नही छोडना चाहते थे लेकिन अप्रार्थीगण ने हद से ज्यादा प्रार्थीगण को तंग व परेशान किया व घर से बाहर निकाल दिया। अप्रार्थीगण ने समस्त तथ्य कपोल कल्पित किए है।

जवाब प्रार्थना की दफा 3 मे वर्णित कथन कतई असत्य व मनगढत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीया व अप्रार्थी सं 1 ता 3 का सयुक्त परिवार है जब तक विधि वत रूप से सम्पति का विभाजन नहीं हो जाता प्रार्थीया सं. 1 नाबालिग है जिसके हितो की रक्ष करना प्रार्थीया सं. 2 मां होने के कारण प्राकृतिक व विधिक दायित्व है प्रार्थीया सं. 1 नाबालिग होने के साथ साथ परिवार की सहदयिकी सदस्य है । रामचन्द्र के द्वारा बलराम को पेस्टीसाईड की दुकान व एक प्लाट पीलीबंगा मे व दो प्लाट रावतसर में खरीद कर देना कतई अस्वीकार है।

जवाब प्रार्थना पत्र की दफा 4 मे वर्णित कथन कतई असत्य व मनगढत होने से अस्वीकार है। हजारी राम के नाम वर्णित कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है व अप्रार्थी सं. 1 रामचन्द्र प्रार्थीया सं. 1 का दादा है व अप्रार्थी सं. 3 के नाम वर्णित कृषि भूमि हजारी राम के नाम वर्णित कृषि भूमि की आय से खरीदशुदा कृषि भूमि है जो पैतृक कृषि भूमि की श्रेणी मे आती है इस कारण कृषि भूमि मुल रूप से पैतृक कृषि भूमि जिसमे प्रार्थीया सं. 1 के पिता का हक निहित है जो वह प्राप्त करने की अधिकारनी है।

जवाब प्रार्थना पत्र की दफा [illegible] असत्य व मनगढत होने से अस्वीकार है। पैतृक कृषि भूमि मे बलराम की मृत[illegible] उसके वारिसो का हक व हिस्सा निहित है अप्रार्थीगण का यह [illegible] प्रार्थीया सं. 2 का अप्रार्थीगण के प्रति व्यवहार अच्छा [illegible] मृत्यु के पश्चात प्रार्थीया सं. 2 वंशिका चौधरी को अपने साथ पीहर वालो के बहकावे व [illegible]जायज दबाव मे लेकर गई हो व हमे तंग व परेशान करने की नियत से झूठे मुकदमे कर रही हो व रामचन्द्र अप्रार्थी सं. 1 ने मण्डी मे पेस्टीसाईड की दुकान करवा दी हो व एक प्लाट पीलीबंगा मे व 2 प्लाट रावतसर मे

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.10.28 10:44:42 IST
Reason: SelfAttested

खरीद कर दिये हो व पीलीबंगा वाला प्लाट दुर्गा देवी ने बेच दिया हो कतई असत्य व मनगढत होने से समस्त कथन अस्वीकार है। प्रार्थीया सं. 1 के पिता व प्रार्थीया स. 2 के पति बलराम की साझां खाता में 2 फर्म जय श्री राम इन्टर प्राईजेज पीलीबंगा प्रो. सुभाष चन्द्र बेनीवाल पेस्टीसाईड खाद बीज का काम व दुसरी फर्म बेनीवाल ब्रार्दस पीलीबंगा ग्रेन मर्चेन्ट कमीशन एजेन्ट पीलीबंगा मे जिसमे प्रो. बलराम बेनीवाल था दोनो फर्मो का कारोबार 2007–2008 मे सयुक्त रूप से साझें रूपये लगाकर शुरू किया था बलराम की मृत्यु के पश्चात सांझा हिसाब किताब किया गया था। पति बलराम की जगह उक्त फर्म में दुर्गा देवी प्रो. नियुक्त की गई हिसाब किताब मे 15,84,000/–रूपये सुभाषचन्द्र बेनीवाल ने देने थे इसी दौरान सुभाषचन्द्र बेनीवाल की मृत्यु हो गई इस दिनांक के बाद दोनो फर्मो का हिसाब किताब व कारोबार अलग हो गया दुर्गा देवी को 15,84,000/– रूपये देने थे जिस अनुसार एक चौक मदनलाल पुत्र कान्हाराम ने ओबीसी बैक पीलीबंगा चौक सं. 091893 राशि 5,00,000/–रूपये का रामचन्द्र प्रतिवादी सं. 1 को दिया । दुसरा चौक कृष्णलाल पुत्र कान्हाराम ने ओबीसी बैक शाखा पीलीबंगा का चौकं सं. 027560 राशि 5,00,000/– रूपये का दिनांक 10.02.2021 को अप्रार्थी सं. 2 सुरजभान को दिया व प्रार्थीया सं. 2 दुर्गा देवी को 5,84,000/– रूपये का एक चौक पीलीबंगा ट्रेडिंग कम्पनी ने पीएनबी शाखा पीलीबंगा का चौक सं. 837928 राशि का दिया। जिसका लिखा पढी 100/–रूपये के स्टाम्प पर दिनांक 15.11.2021 को रोबरू गवाहान साहबराम पुत्र लेखराम जाति जाट साकिन पीलीबंगा गांव व शिवप्रकाश पुत्र ज्ञानाराम जाति जाट साकिन पक्का सहारणा के सामने लिखा पढी की गई जो नोटेरी पब्लिक से तसदीकशुदा है इस प्रकार अप्रार्थीगण ने अपने जवाब दावा मे समस्त तथ्य आधारहिन पेश किये है।

यह कि जवाब प्रार्थना पत्र की दफा 6 मे वर्णित कथन कतई असत्य व मनगढत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण पैतृक सम्पती होने के कारण अपना हक व हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है प्रार्थीया सं. 1 नाबालिग है जिसके हितो की रक्ष करना नितातं आवश्यक है।

प्रार्थीया सं. 2 जो की प्रार्थीया सं. 1 की मां है जो अपनी पुत्री का भला बुरा सब जानती है मां होने के कारण प्रार्थीया सं. 2 अपनी नाबालिग पुत्री प्रार्थीया सं. 1 की सुरक्षा व हितो की रक्षा करना प्रथम कर्त्वय है प्रार्थीया सं. 2 प्रार्थीया सं. 1 की हितो की रक्षा करने हेतु पूर्ण तय सक्षम है व मां होने के कारण हितो की रक्षा करना प्रार्थीया सं. 2 का परम कर्त्वय है व प्रार्थीया सं. 1 का लालन पालन व सभांल करना प्रार्थीया सं. 2 इसे बखुबी कर रही है।

जवाब प्रार्थना पत्र की दफा 9 मे वर्णित कथन कतई असत्य व मनगढत होने से अस्वीकार है। पैतृक कृषि भूमि का कथित दान पत्र जो प्रार्थीया सं. 1 नाबालिग के हितो को प्रभावित करता हो व पैतृक कृषि भूमि बाबत घोषणा का वाद पत्र प्रस्तुत करने की प्रार्थीया को अधिकार प्राप्त है। पैतृक कृषि भूमि का कथित दान पत्र को सिविल न्यायाधीश पीलीबंगा मे चुनौती दी गई है उक्त अनवान वाद पत्र व सिविल न्यायालय में प्रस्तुत वाद पत्र अलग अलग कानून व प्रोसिजर के तहत प्रस्तुत किये गए हे जो प्रार्थीया को प्रस्तुत करने की अधिकारीता है दोनो कानूनो की अलग अलग अवधारणाए है व दोनो वाद पत्रो मे अनुतोष अलग अलग चाहा गया है।अतः जवाब उल जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 के जवाब प्रार्थना को खारिज फरमाया जाकर मिन प्रार्थीया प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

प्रकरण में स्टेट जवाब प्राप्त हो चुका है। उभय पक्ष सुनी गई बहस प्रार्थना पत्र में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा कथन किया कि चक 5 एनएसडब्ल्यू के 1/4 हिस्सा व अन्य खातों की भूमि का दानपत्र करवा दिया गया है जिन पर अन्य न्यायालयों में अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकृत है। कथन किया कि बेचान होने पर प्रार्थीगण को अपूर्णिय क्षति होगी। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि प्रार्थीया संख्या 2 के पति बलराम की जगह उक्त फर्म में दुर्गा देवी प्रो. नियुक्त की गई हिसाब किताब मे 15,84,000/–रूपये सुभाषचन्द्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.10.28 10:44:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

बेनीवाल ने देने थे इसी दौरान सुभाषचन्द्र बेनीवाल की मृत्यु हो गई इस दिनांक के बाद दोनो फर्मों का हिसाब किताब व कारोबार अलग हो गया दुर्गा देवी का उक्त हिसाब में जो हिस्सा 15,84000/- रू प्राप्त हुए है जिसमें से पांच-पांच लाख रूपये अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को दे दिये गए है जिसका शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गए-डीएनजे 2023(2)राज. पृष्ठ संख्या 595 व 1228, डीएनजे 2023(1)राज. पृष्ठ संख्या 532, डीएनजे 2002(3)राज. पृष्ठ संख्या 1357 व एआईआर 1964 पृष्ठ संख्या 1 ता 9 जिनका अध्ययन किया गया एवं अस्थाई निषेधाज्ञा ता फैसला किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण 1 ता 3 की ओर से अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि प्रार्थीया ने दूसरी शादी कर ली है। दावा में वर्णित भूमि पैत्रक नहीं है 2016 में वसीयत की गई है एवं हजारी राम को आवंटन है एवं स्वअर्जित भूमि है। प्रथम दृष्टया कब्जा एवं रिकार्ड के देखते हुए दावा चलने योग्य नहीं है। अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज का निवेदन किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गए जिनमें आरआरटी 2010 (1) एससी 515, आरआरटी 2017 (2) एससी 1454, आरआरटी 2021 (2) एचसी 817, आरआरटी 2020 (2) पेज 1013, आरआरटी 2018 (2) पेज 1275, आरआरटी 2021 (1) एससी पेज 1, आरबीजे 1999 पेज 463 धारा 14 हिन्दू उत0 अधि0। उभ्य पक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायायिक दृष्टांतो को सम्मान अध्ययन किया गया। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण इस लिए स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है क्योंकि प्रार्थीया संख्या 1 परिवार की सहदायिकी सदस्य है। प्रार्थीया सं. 1 नाबालिग है जिसके हितो की रक्षा करना नितातं आवश्यक है। प्रश्नगत रकबा में हकों का निर्धारण मूल वाद में तय होना है हकों के संबंध में उभय पक्ष द्वारा मूल वाद में प्रभावी पैरवी की जा सकती है स्थगन आदेश ता फैसला दावा कनर्फम किए जाने से किसी पक्ष को नुकसान नहीं है। बल्कि उभय पक्षों के मध्य आगे विवाद नहीं बढने में सहायक ही है। अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप दिनांक 04.02.2022 को जारी स्थगन आदेश ता फैसला दावा कनफर्म किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो। यह आदेश आज दिनांक 21/10/24 सरे ईजलास पढ़कर सुनाया गया।

(अमिताभ बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.10.28 10:44:42 IST
Reason: SelfAttested